

क्रमांक:-एफ.2(252)/DOIT&C/2022

जयपुर, दिनांक

**कार्यालय आदेश**

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(252)/DOIT&C/2022/02487/2023 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा श्रीमती सुनिता पत्नी स्व. श्री तेजपाल पूनियां (सूचना सहायक) को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद नियुक्ति दी गई थी श्रीमती सुनिता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिन्होंने दिनांक 29.05.2023 को मध्याह्न-पूर्व (प्रथम कार्यग्रहण दिनांक) के पश्चात् अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण श्रीमती सुनिता, का कॉलम सं. 6 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसरण में आदेश क्रमांक F.15(1)FD/RULES/2017 PART-IV, दिनांक 11.12.2024 के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार अनुसूची- II के अनुभाग 'बी' में, क्रम सं. 1A के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स Level-2 (Second cell) (पूर्व वेतनमान के अनुसार वेतन श्रृंखला (पी.बी-1) 5200-20200 (ग्रेड पे. 1750) का न्यूनतम वेतनमान पर स्थिरीकरण कर मूल वेतन 17900/-रुपये एवं नियमानुसार भत्ते आहरित वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति के आदेश जारी किये जाते हैं :-

| क्र. स. | कर्मचारी का नाम                        | पदस्थापन विभाग                                    | प्रथम कार्यग्रहण दिनांक     | परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक | निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित नकद वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                      | 3                                                 | 4                           | 5                                                | 6                                                                                            |
| 1       | श्रीमती सुनिता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर | 29.05.2023 (मध्याह्न-पूर्व) | 28.05.2025                                       | 28.05.2025                                                                                   |

श्रीमती सुनिता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2025 रहेगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)  
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. कार्यालयध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी (भूगतान शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, चूरु(राज.)।
6. श्रीमती सुनिता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यव्यवस्थार्थ के तहत् कार्यरत जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, चूरु(राज.)।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संस्थापन अधिकारी

Document certified by SANJAY JAGDISH KARNIK <sjkarnik.doit@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Sanjay Jagdish Karnik  
Designation: Joint Secretary  
Date :23-06-2025 05:23:10

आई.टी.बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005, दूरभाष:- 0141-2000000  
वेबसाइट:- <http://www.doitc.rajasthan.gov.in> ई-मेल:- oic.estt@rajasthan.gov.in